न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–128/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

1– अब्दुल समी, 2. अब्दुल वहीद, 3. अब्दुल मलिक पुत्रगण मो0 यासीन, निवासीगण–ग्राम रामपुर, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

बनाम

दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 दयाराम, निवासी–143 गुरूद्वारा रोड़, बी0टी0 गंज रूड़की, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

निगरानी संख्या–129/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

1– विक्रम सिंह, 2. मीर सिंह, पुत्रगण स्व0 तुंगल, निवासीगण–ग्राम रामपुर, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 दयाराम, निवासी–143 गुरूद्वारा रोड़, बी0टी0 गंज रूड़की, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, 2. अब्दुल समी, 3. अब्दुल वहीद, 4. अब्दुल मलिक पुत्रगण मो0 यासीन, निवासीगण–ग्राम रामपुर, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री ललित उपाध्याय।

अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी जि0शा0अधि0 (राजस्व)

निर्णय

उपरोक्त दोनो निगरानियां निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर/प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, रूड़की द्वारा वाद संख्या–288/2012–13 हरभजन आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा–143 जं0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 23–06–2014 जिससे उत्तरदाता संख्या–1 का वाद पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है के विरूद्ध मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि खाता संख्या 388 वर्ष 1417 से 1422 फसली के खसरा नं0 14 रकबा 0.0700 है0, खसरा नं0 25 रकबा 0.0360 है0, खसरा नं0 354 रकबा 0.0410 है0 एवं खसरा नं0 388ग रकबा 0.0740 है0 कुल रकबा 0.2210 है0 स्थित ग्राम रामपुर मुस्तहकम, परगना रूड़की, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार के स्वामी हरभजन, तुंगल, लाला, कंटू, पाला पुत्रगण बुद्धू एवं कुलदीप पुत्र बलवंत रहे हैं, कि उपरोक्त मूल स्वामियों द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, रूड़की के समक्ष धारा–143 उ0प्र0 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत वाद संख्या 288 वर्ष 2012–13 हरभजन आदि बनाम सरकार प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसील रूड़की से जांच आख्या प्राप्त होने के बाद विधिनुसार आदेश दिनांक 25–07–2013 पारित करते हुए न्यायालय द्वारा चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नं0 25 रकबा 0.0360 है0 को अकृषक घोषित किया, कि मूल खातेदारों ने दो विक्रय

पत्र दिनांक 01–08–2013 एवं 05--08–2013 से उपरोक्त खसरा नं0 25 रकबा, 0.0360 है0 निगरानीकर्तागण को विक्रय कर स्वामित्व व अध्यासन निगरानीकर्तागण के पक्ष में हस्तानान्तरित कर दिया, कि नामान्तरण वाद संख्या–2077/2012–13 अब्दुल समी आदि बनाम हरभजन एवं नामान्तरण वाद संख्या–2076/2012–13 अब्दुल समी बनाम कुलदीप में न्यायालय अपर तहसीलदार, रूड़की द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–03–2014 में निगरानीकर्तागण के नाम क्रय की गई भूमि पर राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार अंकित हो गये तथा निगरानीकर्तागण बतौर स्वामी उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं, कि प्रतिउत्तरदाता ने बगैर किसी अधिकार के उपरोक्त धारा–143 उ0प्र0 जं0वि0अधि0 के वाद संख्या–288/2012–13 हरभजन आदि बनाम सरकार में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 14–08–2013 को प्रस्तुत किया जिसमें गलत प्रक्रिया अपनाते हुए व आपत्ति व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान न करते हुए अवर न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत तथा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उठाये गये बिन्दुओं पर गौर किये बगैर दिनांक 23–06–2014 को पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण वर्तमान निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

दोनो निगरानियों की विषयवस्तु समान होने के दृष्टिगत दोनो का निस्तारण एक ही निर्णयादेश से किया जा रहा है।

मैंने निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी तथा अवर न्यायालय की पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, रूड़की ने आक्षेपित आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी वर्ष 1417 के खाता संख्या 00013 भूमि खसरा नं0 24 क्षेत्रफल 0.0820 है0, 26 क्षेत्रफल 0.1140 है0, 28 क्षेत्रफल 0.0200 है0 एवं 29 क्षेत्रफल 0.0200 है0 कुल 0.2360 है0 स्थित ग्राम रामपुर मुस्तकम, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार पर दिनेश कुमार शर्मा पुत्र दयाराम का नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त खतौनी वर्ष 1417 से 1422 के खाता संख्या 00388 भूमि खसरा नम्बर 14 क्षेत्रफल 0.0700 है0, खसरा संख्या 25 क्षेत्रफल 0.0360 है0, खसरा संख्या 354 क्षेत्रफल 0.0410 है0 एवं खसरा संख्या 388ग क्षेत्रफल 0.0700 है0 कुल 0.2210 है0 स्थित रामपुर मुस्तकम, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार पर हरभजन के फसली वर्ष 1409 में भूमि खसरा नम्बर 25 भूमि खसरा नं0 24, 26, 28 एवं 29 से मिला हुआ है। प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा दाखिल फैहरिस्त सबूत में दाखिल जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 फसली वर्ष 1409 वर्ष 2001–02 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 25 का पुराना खसरा नं0 142 था। नकल जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 फसली वर्ष 1369 वर्ष 1961–62 में खाता संख्या 210 पर अन्य खसरा नम्बरान के

साथ भूमि खसरा नम्बर 142 रकबई 0–3–10 नई परती श्रेणी–5 कृषि योग्य भूमि के रूप में दर्ज है। नकल खतौनी फसली वर्ष 1396 से 1401 में खाता संख्या 199 पर कन्टू–पाल्ला–हरभजन–तुंगल–लाला पुत्रगण बुद्धु व बलवन्त पुत्र जीसुख नि0ग्राम का नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में में अंकित हैं। भूमि खसरा नम्बर 25 क्षेत्रफल 0.036 है0 स्थित ग्राम रामपुर मुस्तकम, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार को अकृषक घोषित किये जाने के उपरान्त विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, में आवासीय खाली प्लाट का उल्लेख किया गया है इसके अतिरिक्त प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा भूमि खसरा नम्बर 24, 26, 28 एवं 29 स्थित ग्राम रामपुर मुस्तकम, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार की भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 21–10–1978 स्वीकृत मानचित्र की प्रति दाखिल की गई। उक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 24, 26, 28 एवं 29 के अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर 25 स्थित ग्राम रामपुर मुस्तकम, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार भी सम्मिलित है। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 25 स्थित ग्राम रामपुर मुस्तकम, परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार दिनेश कुमार के कब्जे में था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में उत्तरदाता दिनेश कुमार शर्मा का प्रथम दृष्टया हित निहित होने के दृष्टिगत विद्वान सहायक कलेक्टर ने उनका पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। वैसे भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उत्तरदाता को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाय। निगरानीकर्तागण को भी उत्तरदाता की आपत्ति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर विचारण न्यायालय में उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कोई विधिक एवं तात्विक अनियमितता नही की गई है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर विधिवत उत्तरदाता एवं निगरानीकर्तागण को सुना गया है तथा प्रस्तुत अभिलेखों की विद्यमान स्थिति के अनुरूप ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। तद्नुसार दोंनो निगरानियां अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

निगरानियां अस्वीकृत की जाती हैं। पक्षकार अवर न्यायालय में दिनांक 23–04–2018 को उपस्थित हों। अवर न्यायालय की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावलियां संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **24–03–2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)